न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः–गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः– 105/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. शंकर सिंह आत्मज हरि सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भभूत सिंह हरि सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. लादु सिंह आत्मज जीवन सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पूरण सिंह आत्मज कल्याण सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सावंन्त सिंह आत्मज उम्मेद सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. गोविन्द सिंह आत्मज उम्मेद सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गोटु सिंह आत्मज शंकर सिंह राजपूत निवासी खूंटिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. फारूख मोहम्मद –

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 17.01.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खुटिंया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 96 रकबा 5.16 हैक्ट. 97 रकबा 0.45 हैक्ट. 416 रकबा 0.85 हैक्ट. 421 रकबा 0.16 हैक्ट. 422 रकबा 0.62 हैकट. 425 रकबा 0.35 हैक्ट. 426 रकबा 0.30 हैक्ट. 427 रकबा 0.29 हैक्ट 428 पकबा 0. 03 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 8.21 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 206 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से पक्षकारान के दरमियान आपस में सीमा संबंधी विवाद पैदा होते रहते हैं। तथा प्रार्थीगण को घास काटने में, फसल कास्त करने, आराजियात को विकसित करने के समय आपस में सीमा विवाद होता रहता हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 26.10.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात के पड़ौसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 22.11.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी

प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम खुटिंया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 96 रकबा 5.16 हैक्ट. 97 रकबा 0.45 हैक्ट. 416 रकबा 0.85 हैक्ट. 421 रकबा 0.16 हैक्ट. 422 रकबा 0.62 हैक्ट. 425 रकबा 0.35 हैक्ट. 426 रकबा 0.30 हैक्ट. 427 रकबा 0. 29 हैक्ट 428 रकबा 0.03 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 8.21 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 206 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 400/– अक्षरे चार सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 4000/– अक्षरे चार हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा